राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1672/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–बी,जोधपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मरूधर ट्रेडिंग कम्पनी
बिलाडा, जोधपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 09.06.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 11/आरवैट/जेहयूबी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2011 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08 का स्वत कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.05.2007 को पारित करते समय पाया गया कि उसके द्वारा की गई खरीद को संदिग्ध एवं बोगस फर्मो से माल खरीद की गई, जिस पर उसके द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी.को अस्वीकृत कर रिवर्स टैक्स एवं शास्ति आरोपित की गई। उक्त अपास्त किये गये रिवर्स टैक्स एवं शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी कें समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई खरीदे वास्तविक है या नहीं , के सम्बन्ध में बाद जांच यह पाये जाने पर कि की गई खरीदे वास्तविक हैक तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान किया जावे अन्यथा आई.टी.सी. रिवर्स करने की कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरयण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2011 पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2011 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 24.01.2011 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 2007–08 कर निर्धारण दिनांक 18.05.2012 को पारित कर दिया है इसलिए जिस आदेश के

विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है ।अतः अपील सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.01.2011 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2011 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.05.2012 को पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 24.01.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य